न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
म्यूटेशन अपील सं. 332/2022 G.C.M.S. No-2022/435
जब्बरसिंह बनाम जंवरीलाल व जंवरीराम वगै.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
10.1.23	वकुलाय उप०। P.O साहब अवकाश पर है। पत्रावली दिनांक 8/2/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
8/2/23	वकुलाय उप०। P.O साहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 1/3/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
01.3.23	वकील अपीलान्ट उपस्थित। राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया उपस्थित। वकील अपीलान्ट ने हस्तगत म्यूटेशन अपील जरिये नोट प्रेस खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि हस्तगत अपील में अपीलान्ट ने म्यूटेशन मे जिस निर्णय का उल्लेख किया था, उस निर्णय पत्रावली की नकल अपीलान्ट द्वारा रेकर्ड रूम से मांगी गई थी। उस वक्त रेकर्ड रूम में पत्रावली नहीं मिलने पर एवं नकल आवेदन पर पत्रावली नहीं मिली का नोट लगा हुआ होने से अपीलान्ट को लगा की म्यूटेशन में बताया गया निर्णय कभी हुआ ही नही था। अब कुछ दिनों पूर्व उपरोक्त निर्णय पत्रावली एवं उसकी नकल अपीलान्ट को रेकर्ड रूम से प्राप्त हो गई है, जिसकी नकल अपीलान्ट को प्राप्त हो गई है, जिसकी नकल लेकर अपीलान्ट उस निर्णय को निरस्तकरने की अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी के यहां पेश कर चुका है, इसलिए अपीलान्ट अब इस म्यूटेशन अपील को चलाना नहीं चाहता है, का कथन करते हुए हस्तगत म्यूटेशन अपील की पत्रावली को जरिये नोट प्रेस खारिज करने का निवेदन किया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शामिल मिसल हो। वकील अपीलान्ट द्वारा ग्राम राजूवास तहसील नागौर के नामान्तरकरण संख्या 145 जो नायब तहसीलदार नागौर द्वारा दिनांक 15.12.94 को स्वीकृत किया गया, विरूद्ध हस्तगत अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 19.10.2022 को प्रस्तुत की गई। उक्त अपील के संबंध में वकील अपीलान्ट द्वारा उपर्युक्तानुसार किये कथन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील जरिये नोट प्रेस खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया। इस आदेश की प्रति नायब तहसीलदार नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो। (पीयुष समारिया) कलक्टर, नागौर कलक्टर नागौर	